बिना सरकारी अनुमति खरीदी गई जमीन नियमित कराने के जुर्माने में बड़ी छूट

अमर उजाला ब्यूरो

50 प्रतिशत की जगह अब 10 प्रतिशत ही करना होगा भुगतान : औद्योगिक विकास प्राधिकरण में ग्रामसभा की सरकारी भूमि का प्रबंधन प्राधिकरणों को

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने बिना अनुमति तय सीमा से अधिक जमीन खरीदने वालों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। ऐसी जमीन को विनियमित करने के लिए निर्धारित जुर्माने को 50 प्रतिशत से हटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। इसी तरह औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में स्थित ग्राम सभा की भूमि का प्रबंधन संबंधित ग्राम पंचायतों के स्थान पर संबंधित प्राधिकरण करेंगे। इससे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को अपने प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में आसानी होगी।

सरकार इन व्यवस्थाओं के लिए यूपी राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश लाने जा रही है। प्रदेश कैबिनेट ने अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि सरकार की अनुमति के बिना नहीं खरीदी जा सकती है। मगर, कई लोगों ने बिना अनुमति सीमा से अधिक जमीन खरीदी है। ऐसी जमीनों पर लागत का 50 प्रतिशत अर्थदंड लगाने का फैसला किया था। इसी तरह विश्वविद्यालय व मेडिकल कॉलेज आदि की स्थापना के लिए संबंधित विभागों में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि के उपयोग का प्रावधान पहले से है। सरकार औद्योगिक व शैक्षिक प्रोत्साहन से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए 10 प्रतिशत शुल्क लेने की व्यवस्था में भी छूट दे सकेगी। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीडा व यूपसीडा जैसे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कई क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों की सरकारी भूमि यदि प्राधिकरण के किसी विकास योजना में आती है तो उसका विकास बाधित हो जाता है। अब सरकार ने ग्राम सभा की जमीन का प्रबंधन प्राधिकरणों को देने का फैसला किया है।

निवेशकों के लिए बनी एसओपी में संशोधन को मंजूरी

निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ तेजी से देने के लिए छह महीने पहले तैयार की गई मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर अमल का मौका आते ही संशोधन की नौबत आ गई। प्रदेश कैबिनेट ने शासनादेश में संशोधन कर इसकी विसंगति दूर करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पूर्वांचल में स्थापित हो रही चार औद्योगिक इकाइयों को पूंजी निवेश के 300 प्रतिशत की सीमा तक सुविधाएं देने का रास्ता साफ हो गया है।

सिनेमा दिखाने के लिए 30 दिन में जारी होगा लाइसेंस

प्रदेश सरकार ने खिड़कियों के माध्यम से सिनेमा दिखाने के लिए लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। लाइसेंस के लिए मिलने वाले आवेदन का निस्तारण भी अधिकतम 30 दिन में करने का फैसला किया है। इसके लिए उप चलचित्र (खिड़कियों द्वारा प्रदर्शन विनियम) नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने लाइसेंस शुल्क का भी निर्धारण कर दिया है। इसकी घोषणा बाद में की जाएगी।